मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2018 (फाल्गुन 29, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गये : -
(1) श्री सुरता सिंह मरावी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) ठाकुर सोबरन सिंह बाबूजी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(3) श्री जयेन्द्र सरस्वती, कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य, तथा
(4) छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद जवान.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार द्वारा शोकोद्गार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.12 बजे 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11.18 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि कांग्रेस विधायक दल की तरफ से स्थगन प्रस्ताव की दी गई सूचना पर सदन की परम्परानुसार कार्यवाही रोक कर चर्चा करनी चाहिए. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि यह प्रश्नकाल है, स्थगन आने का समय आप देख लें इस तरह की कोई मान्य परम्परा नहीं है कि प्रश्नकाल को रोकें, नेता प्रतिपक्ष इस विषय को शून्यकाल में रख सकते हैं. अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि इसको देख लेता हूं, आप प्रश्नकाल चलने दें."

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि कई अवसरों पर ऐसी परिस्थितियां बनी हैं प्रश्नकाल चलते हुए आश्वासन देकर स्थगन ग्राह्य किया गया है या प्रश्नकाल स्थगित करके स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की गई है. श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने यह मत व्यक्त किया कि निश्चित रूप से घटना दुखद है. पूरे प्रकरण की पुलिस जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट के बाद आवश्यकतानुसार हम उसका जवाब देंगे. श्री मुकेश नायक, सदस्य ने उल्लेख किया कि इसमें जांच की क्या आवश्यकता है, जबकि एक महिला की मृत्यु हुई है. अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस स्थगन प्रस्ताव की ओर इंगित किया था मैंने इस विषय को उठाने की अभी अनुमति नहीं दी है. अभी प्रश्नकाल हो जाने दे, शून्यकाल में आप जो कहेंगे, उसको सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका समाधान हो.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवधान होने के कारण पूर्वाह्न 11.28 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11.38 बजे विधान सभा पुन: समवेत् हुई. तत्पश्चात् पूर्वाह्न 11.44 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 12.01 बजे विधान सभा पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

3. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

सर्वश्री मुकेश नायक एवं जयवर्द्धन सिंह, सदस्यगण द्वारा आसंदी से अनुरोध किया कि एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय आया है, जिसके चलते प्रतिपक्ष का स्थगन प्रस्ताव रखना बहुत ही आवश्यक है. मध्यप्रदेश में यह संदेश जा रहा है कि कानून व्यवस्था विशेष लोगों का विशेष अधिकार है. हम लोग यह चाहते है कि आप कम से कम आश्वासन दे दें कि शून्यकाल के बाद स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करा लेंगे. अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि शून्यकाल की सूचनाएं आने दीजिए. आप सदन चलने नहीं दे रहे है न प्रश्नकाल चलने दिया, अब शून्यकाल भी नहीं चलने दे रहे हैं. मैंने कहा था कि शून्यकाल में अवसर दूंगा.

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों पर चर्चा के समय व्यवधान होने के कारण प्रश्न नहीं हो सके. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 155 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 204 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य की जिला न्यायालय को खरगोन जिला मुख्यालय में स्थापित किये जाने,

(2) श्री मधु भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के सातनारी जलाशय का निर्माण किये जाने,

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की कालापीपल क्षेत्र में स्टॉप डेम न बनाये जाने,

(4) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य की सिरोंज क्षेत्र के हाई स्कूल भौरिया के भवन का निर्माण किये जाने,

(5) श्री घनश्याम पिरौनियां, सदस्य की भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र के नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक की कमी से समस्या उत्पन्न होने,

(6) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य की जिला सिवनी के केवलारी या पलारी में अग्नि शामक सब स्टेशन बनाए जाने,

(7) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में मजना पलेरा सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा अनियमितताएं की जाने,

(8) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य की सीधी जिले के आदिवासी विकासखण्ड कुसमी में कार्यरत शिक्षकों को वेतन न मिलने,

(9) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की शहडोल जिले के ब्यौहारी के ग्राम मुदरिटोला स्थित खेल मैदान पर अवैध कब्जा होने तथा

(10) श्री मुकेश नायक, सदस्य की पवई स्थित महाविद्यालय में स्टॉफ की कमी होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

7. गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेश्नल काँग्रेस के सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भ गृह में प्रवेश किया.

8. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

श्री लाखन सिंह यादव एवं कुंवर विक्रम सिंह, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन दिया है उसको ग्राह्य कर चर्चा कराई जाए. अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि सामान्यत: बजट सत्र में स्थगन नहीं लिया जाता किन्तु गंभीर विषयों पर प्रक्रिया के तहत विचार किया जाता है आप बिना प्रक्रिया के कह रहे हैं, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें.

9. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, आरिफ अकील एवं शैलेन्द्र पटेल, सदस्यगण की भोपाल एवं बैतूल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होने संबंधी सूचना पढ़ने के लिए आसंदी द्वारा नाम पुकारा गया किन्तु उनके द्वारा अपनी सूचना नहीं पढ़ी गई.

(2) कुंवर सौरभ सिंह, प्रो. संजीव छोटेलाल उइके, सदस्यगण की प्रदेश के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन हेतु जारी की गई निविदा नियम विरूद्ध होने संबंधी सूचना पढ़ने के लिए आसंदी द्वारा नाम पुकारा गया किन्तु उनके द्वारा अपनी सूचना नहीं पढ़ी गई.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(2) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(3) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(4) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(5) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(6) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(7) कुंवर हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(8) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(9) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(10) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(11) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(12) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(13) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(14) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(15) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(16) श्री विजयपाल सिंह (जिला-होशंगाबाद)
(17) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(18) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(19) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना)
(20) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(21) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(22) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(23) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(24) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर विधेयक, 2018 (क्रमांक 1 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर विधेयक, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवधान होने के कारण अपराह्न 12.12 बजे सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 12.43 बजे विधान सभा पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

12. गर्भगृह में प्रवेश (क्रमश:)

इंडियन नेश्नल काँग्रेस के सदस्यगण द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भ गृह में प्रवेश किया.

(व्यवधान के बीच कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर बिना चर्चा कार्यवाही निरंतर जारी रही)

13. वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (पूर्वानुबद्ध)

(10) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 12	ऊर्जा के लिए सत्रह हजार एक सौ इकसठ करोड़, इक्कानवे लाख, सत्तर हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर प्रस्तुतकर्ता सदस्यगण द्वारा चर्चा में भाग नहीं लिया.

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(11) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 17	सहकारिता के लिए एक हजार पांच सौ सतावन करोड़, इकहत्तर लाख, सतानवे हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास के लिए एक सौ तैंतीस करोड़, इकसठ लाख, अस्सी हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर प्रस्तुतकर्ता सदस्यगण द्वारा चर्चा में भाग नहीं लिया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. कार्यवाही का बहिष्कार

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी को सूचित किया कि सदन की कार्यवाही विपक्ष की एक भी बात न सुनते हुए चला रहे हैं यह कतई उचित नहीं है इतनी महत्वपूर्ण बात हमने रखी है वो बात आप नहीं रख रहे है यदि इसी तरह से आपको कार्यवाही करनी है तो हमें सदन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है.

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया.)

15. वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(12) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, खनिज साधन, प्रवासी भारतीय मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 11	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए नौ सौ उनतालीस करोड़, सड़सठ लाख, बावन हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 25	खनिज साधन के लिए पचास करोड़, सत्तर लाख, पचपन हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 70	प्रवासी भारतीय के लिए एक करोड़ रूपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(विपक्ष द्वारा कार्यवाही का बहिष्कार किये जाने से उनके कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके.)

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(13) श्री अंतर सिंह आर्य, जेल, पशुपालन, पर्यावरण, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 5	जेल के लिए तीन सौ छत्तीस करोड़, चौवन लाख, पिचासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 14	पशुपालन के लिए एक हजार सात करोड़, इक्यावन लाख, पचपन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के लिए अठासी करोड़, तैंतीस लाख, चौवन हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 71	पर्यावरण के लिए साठ करोड़, बयासी लाख, चौदह हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(विपक्ष द्वारा कार्यवाही का बहिष्कार किये जाने से उनके कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके.)

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(14) श्री रूस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए पांच हजार छह सौ नवासी करोड़, चौदह लाख, तेईस हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(विपक्ष द्वारा कार्यवाही का बहिष्कार किये जाने से उनके कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके.)

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(15) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया खेल और युवक कल्याण एवं धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 43 खेल और युवक कल्याण के लिए दो सौ चौबीस करोड़, बाईस लाख, चौवन हजार रुपये, तथा

अनुदान संख्या – 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए दो सौ सैंतालीस करोड़, अठावन लाख रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(विपक्ष द्वारा कार्यवाही का बहिष्कार किये जाने से उनके कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके.)

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 1.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2018 (30 फाल्गुन, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 20 मार्च, 2018